निदेशक (एमआईजी) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बालानगर, हैदराबाद और अन्य बनाम अजीत प्रसाद तारवे (12), अवैध रूप से या अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 की उपधारा (1) के खंड (सी) भौतिक अनियमितता की व्याख्या क्षेत्राधिकार के प्रयोग के संबंध में की गई अवैधता या भौतिक अनियमितता के रूप में की गई है, अन्यथा नहीं। निस्संदेह, नीचे के न्यायालयों के पास प्रश्नगत निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र था और उक्त क्षेत्राधिकार के प्रयोग में कोई अवैधता नहीं बताई गई थी।

(18) पुनरीक्षण की सुनवाई के दौरान समस्या का सर्वमान्य समाधान खोजने का प्रयास किया गया। वादी- प्रतिवादियों की ओर से दिए गए सुझावों में से एक यह था कि इमारत की गतिविधि केवल उत्तर- पश्चिमी सीढ़ी के माध्यम से की जाए, इमारत के दक्षिण- पश्चिमी तरफ स्थित सीढ़ी को छोड़कर। हालांकि किसी सर्वसम्मत समाधान तक पहुंचना संभव नहीं हो सका। यह बिल्कुल उचित प्रतीत होता है कि निषेधाज्ञा आदेश को वादी- प्रतिवादियों द्वारा दूसरी मंजिल पर छत पर भवन संचालन के लिए केवल उत्तर- पश्चिमी सीढ़ी का उपयोग करने पर सशर्त बनाया जाना चाहिए। यह भी निर्देश दिया गया है कि वादी- प्रतिवादी विचारण न्यायालय में लिखित रूप में एक शपथ पत्र दाखिल करेंगे कि यदि मुकदमा अंततः खारिज कर दिया जाता है, तो वे अपने खर्च पर आपत्तिजनक निर्माण को हटा देंगे। न्यायालय में उपस्थित होने की तिथि से एक माह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करना होगा। इन क्षेत्रों में पुनरीक्षण याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(19) पार्टियों को अपने वकील के माध्यम से कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए 7 सितंबर 1991 को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

एस.सी.के

(पूर्ण पीठ)

माननीय न्यायमूर्ति ए.एल. बाहरी, ए.पी. चौधरी और जे.बी. गर्ग, जे के समक्ष

हरियाणा राज्य - अपीलकर्ता

---

(12) A.I.R. 1973 S.C. 76.

बनाम

बनवारी लाल - प्रतिवादी

Criminal. Appeal No. 640-DBA of 1986.

7 फ़रवरी 1992.

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954- धारा 7 और 16(1) (ए) (i)- हल्दी का नमूना लेना- भोजन की कुल मात्रा को मिलाने की आवश्यकता, ऐसी आवश्यकता, यदि अनिवार्य हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नमूना लेने से पहले खाद्य पदार्थ को हिलाया जाना चाहिए। यह हो सकता है कि विभिन्न विशिष्ट गुरुत्व वाली वस्तुओं के मिश्रण के मामले में, उचित मिश्रण और हिलाने से भोजन बनाने में मदद मिलेगी। नमूना अधिक प्रतिनिधिक होता है, लेकिन जब बिक्री के लिए रखी गई वस्तु में समान संरचना और विशिष्ट गुरुत्व का पदार्थ होता है, तो किसी मिश्रण या हिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। हिलाने की आवश्यकता सार्वभौमिक अनुप्रयोग की नहीं है। (पैरा 4)

अभिनिर्धारित किया गया कि नमूना लेने से पहले खाद्य पदार्थ की कुल मात्रा को मिलाने के सिद्धांत को गेहूं, आटा हल्दी पाउडर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अजवाइन या इसी तरह के अन्य खाद्य पदार्थ। (पैरा 6)

1. चरणजी लाल नि. पंजाब राज्य 1993(1) एफएसी 169.

2. शाम सुंदर बनाम हरियाणा राज्य 1986(1) सीएलआर 120.

3. मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य 1990(1) हालिया आपराधिक रिपोर्ट, 317.

(ख़ारिज)

हरियाणा राज्य बनाम हुकम चंद 1984 एफएजे 198.

(पालन किया)

(9 सितंबर, 1991 को माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.एस. सेखों और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. राठौड़ की खंडपीठ द्वारा इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा गया था। माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.एल. बाहरी, माननीय श्री न्यायमूर्ति, ए.पी. चमोधरी और माननीय श्री न्यायमूर्ति, जे.बी. गर्ग की पूर्ण पीठ ने 7 फरवरी, 1992 के अपने आधिपत्य के फैसले के तहत मामले में शामिल प्रश्न का निर्णय लिया और उसी बिंदु से संबंधित मामले और अन्य संबंधित अपीलों को लैम के अनुसार निपटान के लिए उचित पीठ के समक्ष भेज दिया गया)

श्री बी. एल. गुलाटी, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार के न्यायालय, दिनांक 19 अप्रैल, 1986 के अभियुक्तों को बरी करने के आदेश के विरुद्ध अपील।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 16(1) (ए) (i) के साथ पठित धारा 7(i) के तहत आरोप।

आदेश: बरी किया गया।

एस.एस. गौरीपुरिया, एएजी (हरियाणा), अपीलकर्ता के लिए।

डी. एस. बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता शालो बाली के साथ, प्रतिवादी के वकील।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति ए. पी. चौधरी, जे.

(1) बनवारी लाल प्रतिवादी पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 16(1) (ए) (i) के साथ पठित धारा 7(i) के तहत मुकदमा चलाया गया था। उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फतेहाबाद द्वारा दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार ने उनकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था। मुख्य रूप से इस आधार पर कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि इस मामले में खाद्य पदार्थ, हल्दी पाउडर, को नमूना लेने से पहले ठीक से मिलाया गया था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, निचली अपीलीय अदालत ने चरणजी लाल बनाम पंजाब राज्य (1) और शाम सुंदर बनाम हरियाणा राज्य (2) में दो एकल पीठ के फैसलों पर भरोसा किया और एक डिवीजन बेंच को अलग

(1) 1983 (1) F.A.C. 169. (2) 1986 (1) C.L.R. 120.

करने की मांग की। हरियाणा राज्य बनाम हुकम चंद (3) में विपरीत निर्णय। राज्य ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर की, जो जे.एस. सेखों और एस.एस. राठौड़ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। जे.जे. विद्वान न्यायाधीशों ने बताया कि हुकम चंद के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच का फैसला आटा से लिए गए नमूने से संबंधित था जो धूल के संपर्क में था, और संदेह व्यक्त किया कि क्या इसमें निर्धारित कानून है। हुकम सिंह के मामले में, लागू किया गया जहां खाद्य पदार्थ का नमूना एक उचित कंटेनर से लिया गया था, बेंच की राय में, मुद्दा बार- बार उठता रहा और एक बड़ी बेंच द्वारा आधिकारिक रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता थी। संदर्भित प्रश्न इस प्रकार है:-

> "क्या हल्दी पाउडर या गेहूं के आटे (अटल) का नमूना लेने से पहले उसे सजातीय बनाने के लिए मिश्रण अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक है?"

हमने अपीलकर्ता की ओर से श्री एस.एस. गोरीपुरिया, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा, और श्री डी.एस. बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभियुक्तों की ओर से सुना है।

(2) प्रारंभ में यह कहा जा सकता है कि अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि खाद्य पदार्थ को नमूना लेने से पहले हिलाया जाए। हालाँकि, केस कानून के परिणामस्वरूप, यह माना गया है कि दूध के मामले में, नमूना लेने से पहले इसे सजातीय बनाने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए, खाद्य निरीक्षक, नगरपालिका निगम बड़ौदा बनाम मदन लूल कुम लाल शर्मा और एक और (4), में यह अवधारित किया गया कि दही सहित दूध और दूध की तैयारी में, यह स्पष्ट रूप से संभव था कि वसा शीर्ष पर बसा हुआ था और यह पता लगाने के लिए कि क्या इसकी तैयारी के दूध, जैसे कि, उर्द, में निर्धारित मात्रा थी सामग्री, नमूना सजातीय और प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि विश्लेषण विश्लेषण के तहत खाद्य पदार्थ की प्रकृति और सामग्री का उचित प्रमाण प्रस्तुत कर सके। इसलिए, यह बताया गया कि मंथन नमूने को सजातीय और प्रतिनिधि बनाने के तरीकों में से एक है।

---

(3) 1984 F.A.J. 198.

(4) A.I.R. 1983 S.C. 176.

(3) प्रश्न जो निर्धारित करने योग्य है वह यह है कि क्या आटा या हल्दी पाउडर आदि के मामले में, सिद्धांत या मिसाल पर नमूना लेते हुए समान सजातीय बेरोरे बनाने के लिए हिलाने की कोई आवश्यकता है?

(4) सिद्धांत रूप में, दूध और कुछ अन्य तरल पदार्थों का मामला अन्य खाद्य पदार्थों जैसे आटा और हल्दी पाउडर से स्पष्ट रूप से अलग है। ऐसा हो सकता है कि विभिन्न विशिष्ट गुरुत्व वाली वस्तुओं के मिश्रण के मामले में, उचित मिश्रण और सरगर्मी से नमूने को अधिक प्रतिनिधि बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन जब बिक्री के लिए रखी गई वस्तु में समान संरचना और विशिष्ट गुरुत्व वाला पदार्थ होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि मिश्रण या हिलाना आवश्यक है। हिलाने की आवश्यकता सार्वभौमिक अनुप्रयोग की नहीं है, ऐसे दो उदाहरण आसानी से दिए जा सकते हैं जहाँ हिलाने की आवश्यकता का कोई अनुप्रयोग नहीं था। ये हैं (1) गोपालपुर टी कंपनी लिमिटेड बनाम कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता (5) में, संबंधित खाद्य वस्तु 25 बैग चाय थी। खाद्य निरीक्षक ने यादृच्छिक रूप से चयनित एक बैग से नमूना लिया। तर्क यह था कि नमूना 25 बैगों की सामग्री का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिनिधि नमूने के सिद्धांत में ऐसे मामले में यह आवश्यक नहीं है कि सभी बक्सों से चाय को पहले एक साथ मिलाया जाए और उसके बाद प्रतिनिधि नमूना लिया जाए। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्येक बैग अपने आप में एक अलग इकाई थी। दूसरे उदाहरण में, एलोटियम विल्सन और अन्य बनाम खाद्य निरीक्षक और अन्य (6) में, वह मामला लगभग 100 किलोग्राम आइसक्रीम में से नमूना लेने से संबंधित था। यह तर्क दिया गया कि नमूना प्रतिनिधि नहीं था क्योंकि नमूना लेने से पहले आइसक्रीम को अच्छी तरह मिलाया नहीं गया था। विवाद को इस अवलोकन के साथ खारिज कर दिया गया कि अधिनियम और कुल्स ने इस बात पर विचार नहीं किया कि ऐसी स्थिति में किसी भी हिस्से को फाउड इंस्पेक्टर को नमूने के रूप में बेचने से पहले संबंधित आइसक्रीम या खाद्य सामग्री के पूरे भंडार को हिलाया जाना चाहिए। यदि इसे अन्यथा माना जाता, तो इससे विश्लेषण के लिए सैम्पी लेना असंभव हो जाता। उदाहरण के लिए, आइसक्रीम के मामले में, यह सर्वविदित है कि यदि इसे पिघला दिया जाए, तो इसे अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता है। यह इस तथ्य से अलग है कि इतनी बड़ी मात्रा में आइसक्रीम को मिश्रित करने के लिए इसे सजातीय बनाने के लिए एक काफी बड़े संयंत्र की आवश्यकता होगी। इसलिए, यह प्रश्न कि किसी दिए गए मामले में कोई नमूना किस प्रकार प्रतिनिधि होगा, आवश्यक रूप से बेची गई वस्तुओं

(5) A.I.R. 1966 Calcutta 51.

(6) 1981 (1) F.A.C. 183.

की प्रकृति और ग्राहक को आपूर्ति के सामान्य तरीके पर निर्भर होना चाहिए जब वह उसे खरीदने आता है। यदि आम तौर पर ग्राहक को समय- समय पर संबंधित खाद्य सामग्री बेचते समय हिलाने और मिलाने की प्रथा होती है, तो प्रतिनिधि नमूना वह होगा जो इस तरह हिलाने और मिलाने के बाद लिया जाता है। दूसरी ओर, यदि बिक्री का सामान्य तरीका बिना किसी हलचल या मिश्रण के खाद्य पदार्थ को भाग- दर-भाग निकालना है, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं हो सकती कि बेचा गया नमूना प्रतिनिधि नहीं है।"

(5) केरल राज्य आदि बनाम अलसेरी मोहम्मद आदि (7) मामले में, शीर्ष न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि प्रतिनिधि और सजातीय नमूने की आवश्यकता भोजन की प्रत्येक वस्तु पर लागू नहीं होती है। यह देखा गया कि एक प्रतिनिधि नमूने का उस संदर्भ के आधार पर अलग- अलग अर्थ, अर्थ और उद्देश्य होता है जिसमें वह प्रासंगिक है। आगे यह देखा गया कि यदि खाद्य निरीक्षक को बेची गई खाद्य वस्तु मिलावटी साबित हुई, तो यह मायने नहीं रखता कि उसके द्वारा खरीदा गया नमूना उस व्यक्ति के कब्जे में मौजूद पूरे स्टॉक का प्रतिनिधि नमूना था या नहीं। अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, जो व्यक्ति ऐसे नमूने का 'भंडारण' या 'बेचता' है, वह अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) (आई) के तहत दंडित किया जा सकता है। उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि कुछ विशिष्ट कारण जो नमूना लेने से पहले दूध को हिलाना आवश्यक बनाते हैं, आटा या हल्दी पाउडर के मामले में बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थन में कोई कारण नहीं दिया जा सका कि इस तरह की हलचल की आवश्यकता है।

(6) उदाहरणों पर आते हुए, हम पाते हैं कि चरणजी लाल के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के तीन निर्णय हैं (सुप्रा), शाम सुदर का मामला (सुप्रा) और मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य (8), यह मानते हुए कि हल्दी पाउडर और अजवाइन के मामले में हलचल की आवश्यकता थी, हालांकि, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया था। (एम. आर. शर्मा और एस. एस. कांग, जे.जे.) हुकम चंद के मामले में (सुप्रा)। यह माना गया कि नमूना लेने से पहले खाद्य पदार्थ की कुल मात्रा को मिलाने के सिद्धांत को गेहूं आटे तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। एकल पीठ के किसी भी फैसले में इस निष्कर्ष के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है कि नमूना लेने से पहले हल्दी पाउडर या अजवाइन को मिलाया जाना चाहिए। वास्तव में, ये निर्णय इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि यह कानून की आवश्यकता है। हमने इस प्रश्न की सावधानीपूर्वक जांच की है और हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि

(7) 1978 (1) F.A.C. 145 = A.I.R. 1978 SC. 933.

(8) 1990 (1) Recent Criminal Reports 317.

अधिनियम या नियमों या केस कानून में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि जहां तक हैदी पाउडर या अजवाइन या इसी तरह के खाद्य पदार्थ का संबंध है, नमूना लेने से पहले खाद्य पदार्थ को हिलाने के मुद्दे पर लीन ने उपरोक्त एकल पीठ के फैसले में सही ढंग से नहीं बताया है। इन्हें एतद्द्वारा खारिज किया जाता।इसके विपरीत, हम हुकम चंद के मामले (सुप्रा) में पहुंचे निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हैं और मानते हैं कि नमूना लेने से पहले खाद्य पदार्थ की कुल मात्रा को मिलाने का सिद्धांत गेहूं आटा, हल्दी पाउडर, अजवाइन या इसी तरह के अन्य उत्पादों पर लागू नहीं किया जा सकता है। अन्य खाद्य पदार्थ तथा नमूना लेने से पहले दूध को हिलाने की उपमा ऐसे मामलों पर करें बिल्कुल भी लागू नहीं है।

(7) उपरोक्त कारणों से, हम संदर्भ में पूछे गए प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं और निर्देश देते हैं कि वर्तमान अपील और उसी बिंदु से संबंधित अन्य संबंधित अपीलों को कानून के अनुसार निपटान के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

एस.सी.के

माननीय न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी और अशोक भान, जे.जे. के समक्ष

आयकर आयुक्त, जालंधर- याचिकाकर्ता

बनाम

मैसर्स सुरिंदर कुमार, प्रमोद कुमार और अन्य, जालंधर - प्रतिवादी

Income-tax Reference No. 161 of 1980

28 अगस्त, 1991

(1) आयकर अधिनियम, 1961- एस.एस. 139 (2) परंतुक और 271 (1) (ए) रिटर्न प्रस्तुत करना- निर्धारिती नियत तारीख की समाप्ति के बाद रिटर्न दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रहा है- ऐसे आवेदन की वैधता।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा